भा.वा.अ.शि.प.-उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)
डाकघर - आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर -482 021

ICFRE – TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
(Indian Council of Forestry Research & Education)
(An Autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Govt. of India)
P.O. – R.F.R.C, Mandla Road, JABALPUR – 482 021 (M.P)

TFRI/JBP/DR/2025 Dated 20/06/2025

विज्ञापन

समूह-'ग' भर्ती-2025

विज्ञापन क्रमांक: TFRI/JBP/DR/2025, दिनांक: 14/07/2025

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि	**14-07-2025 (12:00 AM)**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**10-08-2025 (11:59 PM)**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (चरण-I) की संभावित तिथि	**सितंबर के पहले सप्ताह में**
कौशल/व्यावसायिक परीक्षा (चरण-II) की तिथि	**बाद में सूचित की जाएगी**

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् -उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान,जबलपुर (म.प्र.) द्वारा तकनीकी सहायक – 10 पद, वनरक्षक – 03 पद तथा वाहन चालक – 01 पद पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर)/दिव्यांगजन/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अनारक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।सभी अभ्यर्थियों को ₹700/- **(सात सौ रुपये मात्र) + जी.एस.टी.** की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस तथा परीक्षा शुल्क (श्रेणी अनुसार देय) केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांगजन तथा पूर्व सैनिकों को परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त है। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य है, अन्य कोई माध्यम मान्य नहीं होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है. तो प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा।

इन पदों हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, 7वें वेतन आयोग के अनुसार संबंधित स्तर पर, भा.वा.अ.शि.प. के नियमों/आदेशों के अंतर्गत देय भत्तों सहित की जाएगी।

आवेदक 14/07/2025 को 00:00:01 AM से एमपीऑनलाइन पोर्टल https://www.MPOnline.gov.in/ https://iforms.MPOnline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी सूचनाएं / घोषणाएं भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं. के पोर्टल लिंक https://tfri.icfre.org अथवा https://tfri.icfre.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/08/2025है।

निदेशक
भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर

भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

1. भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर - पद अनुसार रिक्तियों का विवरण:

क्र.	पद का नाम एवं 7वें वेतन आयोग के अनुसारवेतन स्तर	पदों की संख्या एवं श्रेणीवार विवरण	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
1	तकनीकी सहायक, श्रेणी-II (फील्ड/प्रयोगशाला), (स्तर-5)	10 (01 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है) यूआर-01 ईडब्ल्यूएस-01 एससी-02 एसटी-02 ओबीसी(एनसीएल)-04	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/कृषि/वानिकी/जैव प्रौद्योगिकी/रसायन विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/सांख्यिकी (किसी भी एक विषय के रूप में) के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री।
2	वनरक्षक (स्तर-2)	03 यूआर - 02 ओबीसी - 01	-सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। -नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान से वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। -शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा मानक परीक्षा पैटर्न में नीचे दिए गए हैं।
3	वाहन चालक (सामान्य श्रेणी) (स्तर-2)	01 यूआर - 01	**आवश्यक:** (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन। (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस। (iii)तीन वर्ष या उससे अधिक का मोटर कार चलाने का अनुभव। **वांछनीय:** मोटर तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहनों मेंमामूली मोटर वाहन दोष को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)।

*डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र के अभाव में, सभी शैक्षणिक वर्षों से संबंधित अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे।

पदों की विज्ञापित श्रेणियों में:

संक्षिप्त नाम: एससी - अनुसूचित जाति, एसटी - अनुसूचित जनजाति, ओबीसी-एनसीएल - अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर), यूआर - अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग/पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, वीआई - दृष्टि बाधित, एचआई-श्रवण बाधित।

यदि योग्यता डिग्री/प्रमाणपत्र (हायर सेकेंडरी या 10+2) में प्रतिशत प्रणाली के बजाय ग्रेड प्वाइंट औसत (GPA) प्रणाली है, तो शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित विधिवत प्रमाणित रूपांतरण प्रणाली प्रस्तुत की जानी चाहिए।

न्यूनतम 40% विकलांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने या किसी छूट/रियायत का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया:-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थियों को सभी सामान्य निर्देश पढ़ने होंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित लिंक 14/07/2025 को 00:00:01 बजे से एमपीऑनलाइन वेबसाइट यानी https://www.MPOnline.gov.in / https://iforms.MPOnline.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10/08/2025 को 23:59:59 बजे तक होगी। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदन शुल्क:

प्रसंस्करण शुल्क + जीएसटी सभी उम्मीदवारों पर लागू है और केवल सामान्य/ओबीसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा जैसा कि नीचे लागू है।

क्रमांक.	पद संख्या (वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार)	परीक्षा शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	कुल शुल्क
1.	वाहन चालक, लेवल-2	Rs. 150/-	**Rs. 700/-** (प्रति अभ्यर्थी प्रति परीक्षा)	Rs. 700+ GST+ Rs. 150
2.	वन रक्षक, लेवल-2	Rs. 150/-		Rs. 700+ GST+ Rs. 150
3.	तकनीकी सहायक, लेवल-5	Rs. 350/-		Rs. 700+ GST+ Rs. 350

(महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।)

* एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए अलग-अलग प्रसंस्करण और परीक्षा शुल्क देना होगा।

* एमपीऑनलाइन अन्य सेवाओं जैसे आवेदन पत्र संपादन, प्रश्नपत्र पर आपत्ति उठाना आदि के लिए शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे परिवर्तन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। ऐसी सेवाओं के लिए किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

*किसी भी परिस्थिति में, भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

4. आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु आवेदन की प्रारंभिक तिथि अर्थात <u>01/07/2025</u> को नीचे दी गई अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्र.	पद	आवेदन की अंतिम तिथि पर पद की न्यूनतम और अधिकतम आयु
1	तकनीकी सहायक	21-30 वर्ष
2	वन रक्षक	18-27 वर्ष
3	चालक (साधारण ग्रेड)	18-27 वर्ष

5. लिखित परीक्षा के लिए केंद्र:-

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र का नाम आदि के लिए समय-समय पर एमपी ऑनलाइन पोर्टल और संस्थान की वेबसाइट देखते रहें। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए यात्रा और ठहरने की व्यवस्था

स्वयं करनी होगी। निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर को बिना कोई कारण बताए किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द/बदलने का अधिकार होगा।

परीक्षा केन्द्र	
अहमदाबाद	जबलपुर
बेंगलुरु	जयपुर
भोपाल	कोलकाता
भुवनेश्वर	मुंबई
चंडीगढ़	नई दिल्ली (एनसीआर)
कोयंबटूर	पटना
देहरादून	प्रयागराज
गुवाहाटी	रायपुर
हैदराबाद	रांची

अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों के संबंध में तीन वरीयताएँ देनी होंगी। जहाँ तक संभव होगा, एमपीऑनलाइन प्रथम/द्वितीय/तृतीय वरीयताएँ आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, प्रशासनिक/तकनीकी कारणों से, एमपीऑनलाइन केन्द्र की उपलब्धता और अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर कोई अन्य परीक्षा केन्द्र आवंटित कर सकता है।

6. पदस्थापना का स्थान:-

पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर या इसके केन्द्र भा.वा.अ.शि.प.-कौशल विकास केन्द्र, छिंदवाड़ा में पदस्थ किया जाएगा। हालाँकि, सभी पदों पर भारत में भा.वा.अ.शि.प.के अधीन किसी भी संस्थान/केन्द्र में सेवा देने की बाध्यता होगी।

7. परीक्षा की योजना:-

प्रतियोगी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 1:10 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए **वाहन चालक पद के लिए ड्राइविंग टेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए शारीरिक मानक परीक्षण** आयोजित किया जाएगा।

सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा या तो एक ही तिथि पर या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र (द्विभाषी - अंग्रेजी और हिंदी में) में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे, जिनके अधिकतम अंक 100 होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

(क) तकनीकी सहायक (Technical Assistant):

भाग	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक	समय अवधि
I	सामान्य जागरूकता एवं तर्कशक्ति	20 / 20	**180 मिनट**
II	अंग्रेजी एवं सामान्य विज्ञान	20 / 20	
III	अंकगणित	20 / 20	
IV	संबंधित विषय:		
	कृषि	10 / 10	
	वानिकी	10 / 10	
	वनस्पति विज्ञान	10 / 10	
	प्राणी विज्ञान	10 / 10	
	कुल	**100 / 100**	

(ख)वन रक्षक (Forest Guard):

भाग	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक	समय अवधि
I	सामान्य जागरूकता	30 / 30	120 मिनट
II	अंकगणित, मानसिक क्षमता एवं तर्कशक्ति	30 / 30	
III	सामान्य अंग्रेजी	10 / 10	
IV	इंटरमीडिएट (12th) स्तर का विज्ञान	30 / 30	
कुल		**100 / 100**	

शारीरिक मानक परीक्षण एवं चिकित्सा मानक:

विवरण	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	महिला अभ्यर्थियों के लिए
पैदल चाल	25 किमी, 4 घंटे में	14 किमी, 4 घंटे में
ऊँचाई	न्यूनतम 165 सेमी	न्यूनतम 150 सेमी
छाती (बिना फुलाए)	79 सेमी	74 सेमी
छाती (फुलाकर)	84 सेमी	79 सेमी

- उत्तर-पूर्व के उम्मीदवारों के लिए ऊँचाई में छूट भारत सरकार के संबंधित मानकों के अनुसार लागू होगी।
- नियुक्ति के पश्चात, नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान से वानिकी प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
- चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान, चश्मा पहनकर अथवा बिना चश्मे के स्पष्ट दृष्टि (6/6) अनिवार्य है और वर्णांधता परीक्षण में सफल होना आवश्यक है।

(ग) वाहनचालक (Driver):

भाग	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक	समय अवधि
I	सामान्य अंग्रेजी	25 / 25	120 मिनट
II	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25 / 25	
III	संख्यात्मक अभिरुचि	25 / 25	
IV	सामान्य जागरूकता	25 / 25	
	कुल	**100**	

साधारण श्रेणी के चालक हेतु: ड्राइविंग परीक्षण में मोटर तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहनों में मामूली मोटर वाहन दोष को दूर करने में सक्षम होना चाहिए), ट्रैफिक नियम और संकेतों की जानकारी शामिल होगी।

महत्वपूर्ण सूचना: सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर **1/3 अंक की कटौती** होगी।

तकनीकी सहायक पद हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक (केवल TSR-13 के अनुसार):

उम्मीदवार श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्णांक
सामान्य (UR)	50%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL)	45%
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग (PwBD) एवं भूतपूर्व सैनिक	40%

- वन रक्षक और वाहन चालक के पद के लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगा।

8. चयन प्रक्रिया:

(i) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि उनके पास न्यूनतम अर्हक अंक हों। शॉर्टलिस्टिंग पर संस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा संस्थान इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। संबंधित पदों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण, ट्रेड टेस्ट अर्हक होगा तथा न्यूनतम 50% अंक (जहां भी अंकन होगा) होंगे। यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।

(ii) कौशल/दक्षता परीक्षण/चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को परीक्षण के समय/नियुक्ति से पहले सत्यापन के लिए आयु प्रमाण, जाति, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित अपने प्रमाण-पत्रों की मूल तथा स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। यदि प्रमाण-पत्र स्थानीय भाषा (हिंदी को छोड़कर) में है, तो नोटरी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी पात्रता प्रमाण-पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने चाहिए।

(iii) **टाई-ब्रेकर के लिए नियम: -** ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त किए हैं, टाई को हल करने तक निम्नलिखित तरीकों को एक के बाद एक लागू करके हल किया जाएगा:
(क) जन्म तिथि, जिसमें अधिक उम्र के उम्मीदवारों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा।
(ख) वर्णानुक्रम के अनुसार उम्मीदवारों का नाम मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा।
(ग) आवेदन किए गए पद के लिए आवश्यक योग्यता में अंकों का उच्च प्रतिशत मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा।

(iv) **उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची: -** विभिन्न पदों (श्रेणी-वार) के लिए प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों का एक श्रेणी-वार पैनल तैयार किया जाएगा। यदि कोई पद रिक्त रहता है - प्रस्ताव की अस्वीकृति, कार्यभार ग्रहण करने के बाद त्यागपत्र, या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से - प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को योग्यता और उपलब्धता के अनुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

9. भारत सरकार के नियमानुसार आयु में छूट:

क्र.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा से परे अनुमन्य आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST)	केवल आरक्षित पदों के लिए 5 वर्ष की छूट।
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) (OBC-NCL)	केवल आरक्षित पदों के लिए 3 वर्ष की छूट।
3	न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले PwBD अभ्यर्थी	संबंधित श्रेणी के अनुसार: सामान्य हेतु 10 वर्ष, SC/ST हेतु 15 वर्ष, OBC-NCL हेतु 13 वर्ष की छूट।
4	भूतपूर्व सैनिक / विकलांग रक्षा सेवा कार्मिक	सेना/नौसेना और वायु सेना में दी गई सेवा की अवधि + 3 वर्ष। ग्रुप सी के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष (एससी/एसटी के लिए 50 वर्ष) तक। डीओपीटी के दिनांक 06.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1667569393892 के अनुसार विकलांगता और एसटी/एससी/ओबीसी के लिए अन्य आयु में छूट लागू होगी।
5	केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक लगातार एवं नियमित रूप से कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो	अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक छूट।

6	केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी (OBC) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक लगातार एवं नियमित रूप से कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो	अधिकतम 43 वर्ष की आयु तक छूट।
7	केंद्र सरकार के असैनिक कर्मचारी (SC/ST) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक लगातार एवं नियमित रूप से कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो	अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक छूट।
8	विधवा / तलाकशुदा महिलाएं / न्यायिक रूप से पृथक की गई महिलाएं जो पुनर्विवाह न की हों	अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक छूट।
9	विधवा / तलाकशुदा महिलाएं / न्यायिक रूप से पृथक की गई महिलाएं जो जो पुनर्विवाह न की हों (OBC-NCL)	अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक छूट।
10	विधवा / तलाकशुदा महिलाएं / न्यायिक रूप से पृथक की गई महिलाएं जो पुनर्विवाह न की हों (SC/ST)	अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक छूट।
11	भा.वा.अ.शि.प.के स्थायी कर्मचारी	• तकनीकी सहायक पद हेतु कोई आयु सीमा नहीं। • अन्य सभी पदों हेतु अधिकतम 5 वर्ष की छूट।

शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को स्वीकार्य आयु में छूट भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार विचार की जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे छूट के हकदार हैं और उनके पास उनके दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वैध प्रमाण पत्र/दस्तावेज हैं। प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया जाना चाहिए।

i) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) के लिए आयु में छूट जहाँ भी लागू हो और स्वीकार्य हो।

ii) सभी उम्मीदवारों, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, को अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। हालाँकि, विशिष्ट समुदायों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए, केवल उस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

iii) आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को वैध जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो दस्तावेज़ सत्यापन के समय सक्षम अधिकारियों से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया जाना चाहिए।

iv) इसके अलावा, ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और इसके बाद के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004- स्थापना (आरईएस) दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के माध्यम से संशोधन और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले आगे के संशोधन। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस नोटिस के तहत पदों के लिए आवेदन करते समय ओबीसी-गैर क्रीमी लेयर श्रेणी से संबंधित है। ऐसे उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रारूप में वैध ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा, श्रेणी प्रमाण पत्र (ओबीसी-

एनसीएल) के अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, अन्यथा, आरक्षित स्थिति (ओबीसी-एनसीएल) के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्ति के विरुद्ध विचार किया जाएगा।

v) एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल से संबंधित उम्मीदवार जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता पूरी करते हैं, वे भी यूआर रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें यूआर उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी और वे आयु छूट सहित किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

vi) इस नोटिस के लिए आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि पर श्रेणी की स्थिति केवल तभी आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए विचार की जाएगी जब पात्र हो और उसके बाद उम्मीदवार की श्रेणी की स्थिति में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

सामान्य निर्देश:

1. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।

2. आवेदकों को एमपीऑनलाइन वेबसाइट https://www.mponline.gov.in/ https://iforms.MPOnline.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तिथियों की घोषणा एमपीऑनलाइन और भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं. वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध कराई जाएगी। हाथ से या डाक से हार्ड कॉपी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं संस्थान की वेबसाइट https://tfri.icfre.gov.in/ https://tfri.icfre.org या एमपीऑनलाइन https://www.mponline.gov.in / https://iforms.mponline.gov.in पर दिखाई देंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

4. न्यूनतम योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र से उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

5. उम्मीदवारों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह का प्रचार करना या चयन/भर्ती के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाना अयोग्यता होगी।

6. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे अपेक्षित शुल्क के साथ पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। किसी भी प्रकार से पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. **विज्ञापन में उल्लिखित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., जबलपुर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

9. अभ्यर्थी ध्यान दें कि यदि लिखित परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अपात्रता पाई जाती है, विज्ञापन में दिए गए नियमों और निर्देशों में निर्धारित शर्तो या किसी भी स्तर पर मांगी गई किसी भी अन्य जानकारी/दस्तावेजों का उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी। इस कारण रद्द करने के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

10. आयु गणना के लिए निर्णायक तिथि 01.07.2025 है।

11. प्रश्न पत्र द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी में) होगा। व्याख्या में विसंगति की स्थिति में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण सही और अंतिम माना जाएगा।

12. **विज्ञापन के हिंदी संस्करण में किसी भी भ्रम या भिन्नता पाए जाने पर विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।**

13. प्रश्न पत्र (अभ्यावेदन, गलत प्रश्न या गलत विकल्प आदि) से संबंधित सभी विवाद एमपीऑनलाइन के साथ किए जाने चाहिए जो इस संबंध में अंतिम प्राधिकारी है। संस्थान इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

14. कानूनी विवाद, यदि कोई हो, तो केवल जबलपुर, मध्य प्रदेश में सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

15. एक उम्मीदवार को अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने वाली किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., मेडिकल परीक्षण निर्धारित कर सकता है।

16. योग्यता के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों यानी एससी / एसटी / ओबीसी से संबंधित उम्मीदवार भी अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ विचार करने के पात्र हैं, यदि ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा आयु में कोई छूट और

लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में कोई छूट नहीं ली गई है। यदि आयु में कोई रियायत और योग्यता मानक में छूट का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार के पात्र होंगे।

17. अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। हालांकि, विशिष्ट समुदायों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) के लिए निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध, केवल उस समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों/नोटिस में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं।

18. कोई भी व्यक्ति:-

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या

ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या अनुबंध किया है

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं.,यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकता है।

19. लिखित परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को एक मूल फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो के साथ बैंक पासबुक / मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध हालिया पहचान पत्र / कर्मचारी आईडी लाना आवश्यक है।

20. लिखित परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा हॉल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाता हुआ पाया जाता है, तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी

21. परीक्षा हॉल में किसी भी तरह से अनुचित व्यवहार या नकल में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

22. बोर्ड द्वारा किसी उम्मीदवार को प्रतिरूपण करने या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत या झूठे बयान देने या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेने या अनुचित साधनों का उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार या कदाचार करने का दोषी पाया जाता है, तो वह खुद को संबंधित परीक्षा से अयोग्य ठहराए जाने और आपराधिक मुकदमा चलाने के अलावा:

a) ICFRE-TFRI द्वारा उनके अधीन रोजगार से स्थायी रूप से या एक विशिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है, यदि वह पहले से ही सरकार/ICFRE के अधीन सेवा में है, तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

23. जिन उम्मीदवारों को पहले ICFRE या किसी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट या वंचित किया गया है, वे इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य होंगे। किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी को छिपाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर तत्काल अयोग्यता और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यदि लागू हो।

24. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय और लेखक की सहायता का प्रावधान:

क) अंधेपन, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के मामले में, उम्मीदवार द्वारा वांछित होने पर लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की शेष श्रेणियों के मामले में, लेखक का प्रावधान केवल परीक्षा के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है, जो कि प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त हो।

ख) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III के अनुसार 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। संलग्न अनुलग्नक के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

ग) दिव्यांगजन/दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखक/पैसेज रीडर की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प चुना हो। उम्मीदवार के पास अपने स्वयं के लेखक का विकल्प चुनने अथवा संस्थान द्वारा प्रदान की गई लेखक की सुविधा का लाभ उठाने का विवेक होगा। इस संबंध में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में उचित विकल्प देना होगा।

घ) यदि उम्मीदवार अपने लेखक का विकल्प चुनता है, तो लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम कम होनी चाहिए। स्वयं लेखक का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय संलग्न अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वयं लेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

च) इसके अतिरिक्त, लेखक को परीक्षा के समय मूल रूप में एक वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेखक के पहचान पत्र (आधार/मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/डीएल/पासपोर्ट/छात्र पहचान पत्र/सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र/ईएसएम डिस्चार्ज प्रमाण पत्र) की फोटोकॉपी, जिस पर अभ्यर्थी और लेखक दोनों के हस्ताक्षर हों, संलग्न अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

छ) यदि बाद में यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थी पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावे खो देगा। स्वयं लेखक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में किसी अन्य दिव्यांग/दिव्यांग अभ्यर्थी की लेखक के रूप में सहायता करता पाया जाता है, तो दोनों अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ज) पात्र उम्मीदवारों के लिए लेखक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक आँख वाले उम्मीदवार और आंशिक रूप से अंधे उम्मीदवार जो सामान्य प्रश्नपत्र को आवर्धक लेंस के साथ या उसके बिना पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक ग्लास की मदद से उत्तर लिखना/संकेत करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें लेखक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अपना आवर्धक ग्लास लाना होगा।

झ) जिन उम्मीदवारों को लेखक का उपयोग करने की अनुमति है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। जो उम्मीदवार लेखक के लिए पात्र हैं, लेकिन लेखक की सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

ट) जिन PwBD/PwD उम्मीदवारों ने लेखक/पैसेज रीडर और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें इस संस्थान द्वारा आयोजित दस्तावेज़ सत्यापन के समय लेखक / प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

25. सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से लागू नई पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

26. किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि, परीक्षा तिथि आदि में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं./एमपीऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से समय पर सूचना दी जाएगी।

27. यदि अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर नीचे सूचीबद्ध किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें नीचे उल्लिखित अवधि के लिए संस्थान की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा:

क्रमांक	कदाचार का प्रकार	निषेध अवधि
1.	परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल से परीक्षा संबंधी कोई भी सामग्री ले जाना या अनधिकृत व्यक्तियों को देना।	2 वर्ष
2.	परीक्षा के दौरान बिना बताए परीक्षा स्थल छोड़ना।	2 वर्ष
3.	परीक्षा पदाधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या संस्थान के प्रतिनिधियों आदि के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करना, डराना या धमकी देना।	3 वर्ष
4.	परीक्षा के संचालन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	3 वर्ष
5.	गलत या झूठे बयान देना, महत्वपूर्ण जानकारी को दबाना, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि।	3 वर्ष
6.	अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	3 वर्ष
7.	मोबाइल फोन को 'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में रखना।	3 वर्ष
8.	नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार शामिल होना।	3 वर्ष
9.	कोई उम्मीदवार जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों पर भी काम कर रहा हो।	3 वर्ष
10.	परीक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11.	जाली एडमिट कार्ड, पहचान प्रमाण आदि के साथ परीक्षा में शामिल होना।	5 वर्ष
12.	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्र/हथियार रखना।	5 वर्ष
13.	परीक्षा कर्मियों यानी पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या संस्थान के प्रतिनिधियों आदि पर हमला करना, बल प्रयोग करना, किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान पहुंचाना।	7 वर्ष
14.	परीक्षा कर्मियों को हथियार/आग्नेयास्त्रों से धमकाना/डराना।	7 वर्ष
15.	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का उपयोग करना जैसे कि किसी कागज़ या शरीर के अंगों पर लिखी सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16.	परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस, जासूसी कैमरे या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना।	7 वर्ष
17.	किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना/प्रतिरूपण करवाना।	7 वर्ष
18.	प्रश्न पत्र या परीक्षा सामग्री, प्रयोगशाला आदि का स्नैपशॉट लेना, वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19.	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर/ऐप्स/लैन/वैन आदि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल साझा करना।	7 वर्ष
20.	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी समय परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास करना।	7 वर्ष

28. यदि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / दिव्यांगजन के संबंध में उम्मीदवारों का दावा गलत पाया जाता है, तो उन्हें भा.वा.अ.शि.प.-उ.व.अ.सं., के संबंधित संस्थान द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

29. ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार जिनकी जाति केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध नहीं है (जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है) और जो ओबीसी-गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए लागू प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार माना जाएगा।

तदनुसार, ओबीसी उम्मीदवार जो ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं, उन्हें अपनी श्रेणी 'सामान्य' के रूप में इंगित करना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रारूप में ओबीसी (एनसीएल) जाति प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष (यानी 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद) पर जारी किया गया होना चाहिए।

30. कोई अभ्यर्थी सामुदायिक आरक्षण का लाभ तभी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जब अभ्यर्थी जिस जाति से संबंधित है, वह आवेदन की अंतिम तिथि तक केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल हो।

31. एक बार जब कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी चुन लेता है, तो अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसे कि एससी से एसटी, एसटी से एससी, ओबीसी से एससी/एसटी या एससी/एसटी से ओबीसी, एससी से ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस से एससी, एसटी से ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस से एसटी, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी (या) कोई अन्य ऐसा अनुरोध।

32. यदि कोई उम्मीदवार दुर्भाग्यवश भर्ती प्रक्रिया के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, तो उम्मीदवार को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित 40% या उससे अधिक की सीमा तक विकलांगता प्राप्त करने को दर्शाने वाला वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वह पीडब्ल्यूबीडी कोटे के तहत आरक्षित पदों के लिए पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सके।

33. उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को आवेदन करने से पहले पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और दस्तावेजों के सत्यापन के समय "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना चाहिए।

34.केवल आवेदन पत्र जमा करना और/या लिखित परीक्षा उतीर्ण करना चयन सुनिश्चित नहीं करता है। यदि किसी भी बाद के चरण में सत्यापन पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है या उसने गलत/गलत/भ्रामक/झूठी जानकारी दी है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी और भुगतान किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही परिषद् द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई भी अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।